

FORM NO.111


फॉर्म अहकाम  
(नियम 26)

16-9-25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

रजिस्ट्रार कुमार पुत्र नन्दकिशोर वगैरे बनाम शकरलाल पुत्र महादेव सैनी वगैरे  
किरम मुकदमा - विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर - 98/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम हुकम की तारीख में जारी हुय
16/09/2025	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सरदार सिंह प्रथम एडो ने उपरिथत होकर एक प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 03.03.2025 को न्यायालय में उपरिथत होकर पेश की गई थी। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> ( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

